बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228868 पटना, दिनांक 20/04/2015

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(2वि0अभि0)-102-14/2012

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास के लाभुकों को निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कराकर द्वितीय/अग्रेतर किस्त के सहायता राशि का भुगतान करने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि आवास विहीन बी.पी.एल. परिवारों के आवास की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही इंदिरा आवास योजना के उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब इंदिरा आवास के लाभार्थी अपने आवास का निर्माण पूर्ण कर आवासित हो जाएँ तथा एतद् संबंधी सूचना एवं फोटो ग्राफ आवास साफ्ट पर अपलोड कर दिया जाय । कतिपय विभागीय दिशा-निर्देशों के बावजूद राज्य में लगभग 12.42 लाख इंदिरा आवास निर्माणाधीन प्रतिवेदित हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है ।

जिलों को पूर्व में यह निर्देश दिया गया था कि जिन लाभार्थियों को प्रथम किस्त की सहायता राशि दी जा चुकी है उनके द्वारा आवास निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण कराकर 15 दिनों के अंदर द्वितीय/अग्रेतर किस्त की राशि का भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । इस क्रम में यह भी निदेश दिया गया था कि वैसे घरों की संख्या जिनमें द्वितीय/अग्रेतर किस्त देनी है तथा उनमें कितनी राशि का दायित्व निहित है, के संबंध में भी प्रतिवेदित किया जाय । किन्तु जिलों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर गंभीरता नहीं दिखायी गयी ।

इंदिरा आवास के कार्यान्वयन के लिए अलग से कार्मिक बल उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस योजना के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में इंदिरा आवास सहायक तथा प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का संविदा आधारित नियोजन किया गया । इन पदों का मूल रूप से कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत है तथा मूल दायित्व इंदिरा आवास के लाभुकों को सहयोग प्रदान कर इंदिरा आवास पूर्ण कराना है । इस व्यवस्था के पश्चात विभागीय पत्र संख्या-206803 दिनांक-25.10.14 द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को द्वितीय/अग्रेतर किस्त की सहायता राशि का भुगतान कर निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे । इसमें ग्रामीण आवास सहायक को प्रखण्ड से सूची प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के अंदर निर्माणाधीन आवासों का स्थलीय जॉच कर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लाभुक से आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना था तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर लाभुक के बैंक खाते में द्वितीय/अग्रेतर किस्त की सहायता राशि अंतरित की जानी थी । किन्तु किसी भी जिला में द्वितीय किस्त का भुगतान एवं निर्माणाधीन आवासों की पूर्णता पर गंभीरता नहीं देखी जा रही है ।

विदित है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पूर्णता की ओर बार-बार विभाग को स्मारित किया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक-218535 दिनांक-30.01.15 एवं 223091 दिनांक-09.03.15 द्वारा विशेष अभियान चलाकर तत्काल तीन वित्तीय वर्षों यथा- वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराकर आवास साफ्ट पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था । किन्तु इस कार्रवाई के पूर्व वैसे सभी लाभुक जिन्हें द्वितीय/अग्रेतर किस्त दिया जाना बाकी है उन्हें चिन्हित कर देय राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है । खेद के साथ कहना है कि सभी जिलों में निधि उपलब्ध रहने एवं इस योजना के लिए अलग से कार्मिक बल होने के बावजूद भी इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता की सूची में नहीं रखा गया है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या-M-12018/03/2014-RH(A/C) दिनांक-23.03.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में लाभुकों को दी गयी प्रथम किस्त की सहायता राशि के विरूद्ध लाभुकों द्वारा निर्माण कराये जा रहे आवासों के निरीक्षण एवं द्वितीय किस्त की सहायता राशि अंतरित किये जाने संबंधी जिलों द्वारा आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये गये सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है तथा न्यून प्रगति की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ है ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि राज्य में 12.42 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने की संभावना प्रबल है । निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई करने का निदेश पूर्व में दिया जा चुका है ।

विदित है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास संबंधी कार्यों में सहयोग हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास मित्र को रखा गया है । विकास मित्र को लगाकर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के इंदिरा आवास के लाभुकों के निर्माणाधीन आवास को पूर्ण करने के संबंध में विस्तृत सूचना यथा- सहायता राशि का उपयोग करने, आवास निर्माणाधीन रहने के कारणों, आवास निर्माण की भौतिक स्थिति की जानकारी के साथ-साथ लाभुक का आवेदन प्राप्त करने में सहयोग लेकर एक निश्चित समय-सीमा के अंदर उसकी जॉच कराकर अपेक्षित कार्रवाई यथा- द्वितीय/अग्रेतर किस्त का भुगतान यदि देय हो तो, नोटिस आदि देकर निर्माणाधीन आवास को पूर्ण कराने में सहायक होगा ।

अत: अनुरोध है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देश के आलोक में निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के लिए विशेष अभियान चलायी जाय तथा निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराकर आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 20.4.15

(प्रदीप कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 228868 पटना, दिनांक 20/04/2015

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठक की कार्यावली में इसे प्राथमिकता की सूची में शामिल कर प्रगति की समीक्षा करने की कृपा की जाय । प्रदीप कुमार

सरकार के सचिव 20.4.15